

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 280/18 तारीख रज 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का सायपुरी बनाम  
 श्री शिवचरण पुत्र निशनलाल जाति मीना निवासी सायपुर तहसील

महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 9/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शिवचरण ने ग्राम सायपुर को भूमि ख.न. 202 रकबा 0.04 किस्म चगाह फसल खड़ी / खरीफ संवत् 2014 गेहूँ में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 202 रकबा 0.04 किस्म चगाह वाके ग्राम सायपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.64 या 50 गुणा 32 शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
 तहसील-महवा (दौसा)  
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर ग/घ को पेश नं० 53 पर  
 वर्ष 2018 फरवरी  
 की राशि 32 पं०  
 की जमा कावली को नं०  
 दिनांक 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार  
 तहसील-महवा